न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पर्वत सिंह चुण्डावत , आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 94 / 23 (प्रा.पत्र)

GCMS No. : 2023 / 329

श्री भगवान लाल बनाम श्री तहसीलदार भीण्डर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 नियम 01 रिव्यु प्रकरण संख्या 17 / 22 अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर

— : : निर्णय : : —

दिनांक : 11.01.2024

1. प्रकरण में प्रार्थी देवीलाल रेंगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 नियम 01 जा.दी. रिव्यु का पेश कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर के आदेश दिनांक 03.03.2022 अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर को रिव्यु किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा प्रकरण संख्या 17 / 22 अन्तर्गत धारा 136, 131 भू– राजस्व अधिनियम अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर में आदेश दिनांक 03.03.2022 को किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा किया गया आदेश मौके की स्थिति व साबिक नक्शे अनुसार नहीं कर नवीन नक्शे के अनुसार किया गया हैं जिसे रिव्यु कर पुनः आदेश मौके की स्थिति व साबिक नक्शे अनुसार किये जाने का निवेदन किया।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है की राजस्व ग्राम भीण्डर के वर्तमान आराजी नम्बर 9028 / 265 रकबा 0.3780 हैक्टयर भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम सही दर्ज नही होकर उतर दिशा की तरफ नगरपालिका की भूमि को भी उक्त आराजी में शामिल कर दिया है जिससे मौके पर नक्शे का तथा खातेदारान के कब्जे का मिलान सही नही हैं। उक्त आराजी नम्बर की वर्तमान नक्शे में दर्ज आकृति अनुसार क्षेत्रफल 0.0150 हैक्टयर अधिक होकर नगरपालिका की भूमि भी उक्त आराजी में शामिल हो गयी है एवं नगरपालिका के वर्तमान आराजी नम्बर 9029 / 265 रकबा 0.3520 की आकृति कम बनायी जाकर जमाबन्दी में रकबा 0.0150 हैक्टयर ज्यादा लिखा गया हैं। आराजी नम्बर 9028 / 265 रकबा 0.3780 हैक्टयर की तरमीम उतर दिशा में [illegible] नक्शे अनुसार नक्शे में 0.0150 हैक्टयर कम की जाकर प्रभावित रकबा 0.0[illegible] हैक्टयर को अलग आराजी नम्बर नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज किया जाना अंकित है एवं नगरपालिका

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 14:56:07 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 9029/265 रकबा 0.3520 का रकबा जमाबंदी में 0.0150 कम किया जाकर 0.3370 हैक्टयर दर्ज किया जाना अपेक्षित हैं।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में बहस सुनी। पत्रावली के अध्ययन से यह पाया की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा प्रकरण संख्या 17/22 अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर में आदेश दिनांक 03.03.2022 अन्तर्गत धारा 136, 131 के तहत दिये गये थे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 नियम 1 जा.दी. के तहत पेश कर न्यायालय द्वारा किया गया आदेश साबिक नक्शे अनुसार नहीं कर नवीन नक्शे के अनुसार किया गया हैं जिसे रिव्यु कर पुनः आदेश मौके की स्थिति व साबिक नक्शे अनुसार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश रिपोर्ट के अध्ययन से पाया की ग्राम भीण्डर के वर्तमान आराजी नम्बर 9028/265 रकबा 0.3780 हैक्टयर भूमि की वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम सही दर्ज नही होकर उत्तर दिशा की तरफ नगरपलिका की भूमि को भी उक्त आराजी में शामिल कर दिया है जिससे मौके पर नक्शे का तथा खातेदारान के कब्जे का मिलान सही नही हैं। उक्त आराजी नम्बर की वर्तमान नक्शे में दर्ज आकृति अनुसार क्षेत्रफल 0.0150 हैक्टयर अधिक होकर नगरपालिका की भूमि भी उक्त आराजी में शामिल हो गयी है एवं नगरपालिका के वर्तमान आराजी नम्बर 9029/265 रकबा 0.3520 की आकृति कम बनायी जाकर जमाबन्दी में रकबा 0.0150 हैक्टयर ज्यादा लिखा गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर आराजी नम्बर 9028/265 रकबा 0.3780 हैक्टयर की तरमीम उत्तर दिशा में प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में 0.0150 हैक्टयर कम की जाकर प्रभावित रकबा 0.0150 हैक्टयर का अलग आराजी नम्बर नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज किये जाने व नगरपालिका के आराजी नम्बर 9029/265 रकबा 0.3520 का रकबा जमाबंदी में 0.0150 कम किया जाकर 0.3370 हैक्टयर दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज, तहसीलदार भीण्डर द्वारा पेश रिपोर्ट से यह पाया की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर के आदेश दिनांक 03.03.2022 प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के साबिक नक्शे व मौके स्थिति के अनुसार नहीं हुऐ थे जिसे प्रार्थी को असुविधा हो रही हैं। अतः प्रकरण संख्या 17/22 अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर के आदेश दिनांक 03.03.2022 को न्यायहित में संशोधित किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 11:56:07 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 नियम 1 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रकरण संख्या 17/22 अनवान भगवान लाल बनाम तहसीलदार भीण्डर के आदेश दिनांक 03.03.2022 को इस आशय के साथ संशोधित किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी न. 9028/265 रकबा 0.3780 हैक्टयर की तरमीम उतर दिशा में प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में 0.0150 हैक्टयर कम कर व प्रभावित रकबा 0.0150 हैक्टयर का अलग आराजी नम्बर प्रस्तावित नक्शे ट्रेस अनुसार नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज कर तथा नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज आराजी नम्बर 9029/265 का रकबा 0.0150 हैक्टयर कम किया जाकर रकबा 0.3520 हैक्टयर के बजाय 0.3370 हैक्टयर दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.22 11:56:07 IST
Reason: SelfAttested